



प्रेस नोट

थाना - हापुड़ नगर

दिनांक:- 24-11-2024

“ स्वाट टीम व थाना हापुड़ नगर पुलिस ने महिला के ब्लाइन्ड मर्डर का किया खुलासा ”

- जनपदीय स्वाट व थाना हापुड़ नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने करीब 07 दिन पूर्व हाईवे किनारे सूटकेस में मिले अज्ञात महिला के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पति व ससुर को किया गिरफ्तार ।
- जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त का वैगनआर कार व स्प्लेंडर बाइक बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्त नागेन्द्र उर्फ अंशुल ने पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को अपने पिता व जीजा के सहयोग से जनपद हापुड़ में फेंक दिया था ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16-11-2024 को थाना हापुड़ नगर क्षेत्रांतर्गत हाइवे के किनारे सूटकेस में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था । मृतका की शिनाख्त कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 761/24 धारा 103, 238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पति व ससुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त का वैगनआर कार व स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:- सेन्चुरी तिराहा हापुड़ व दिनांक 24.11.2024

हत्या का कारण:-

अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त राखी पत्नी नागेन्द्र उर्फ अंशुल निवासी ग्राम सिमरावा थाना मोहली जनपद सीतापुर व हाल पता - गली नं0 14 म0नं0 291 हंस इन्कलेव सेक्टर 33 गुरूग्राम के रूप में हुई थी तथा विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि दिनांक 14-11-2024 को नागेन्द्र उर्फ अंशुल का अपनी पत्नी के साथ अपने घर वालों से बात करने को लेकर झगडा हुआ था। झगडे के दौरान अंशुल ने अपनी पत्नी राखी का मुहँ व गले पर हाथ रखकर दम घोंट दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। मृतका के शव को अंशुल ने नये खरीद कर लाये गये लाल रंग के ट्राली बैग मे रखा और बैग को अपने जीजा धीरज व पिता रमेश के माध्यम से गुडगांव से टैक्सी बुक कर शव को जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत NH-09 की सर्विस रोड ग्राम अच्छेजा पर फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नागेन्द्र उर्फ अंशुल पुत्र रमेश निवासी ग्राम सिमरावा थाना मोहली जनपद सीतापुर व हाल पता - गली नं0 14 हंस इन्कलेव सेक्टर 33 गुरूग्राम। (हत्यारोपी पति)
2. रमेश पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम सिमरावा थाना मोहली जनपद सीतापुर। (ससुर)

बरामदगी का विवरण:-

- 1- घटना मे प्रयुक्त वैगनआर कार रजि0न0 HR 55 AA 6761
- 2- घटना मे प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटर साईकिल रजि0न0 HR 26 EQ 0550

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुनीष प्रताप सिंह थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
2. निरीक्षक श्री पटनीश कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद हापुड़।
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
4. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
5. है0कां0 707 विनोद कुमार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
6. है0कां0 903 रजनीश थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
7. है0कां0 494 अजय शंकर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
8. है0कां0 932 नीरज कुमार स्वाट टीम जनपद हापुड़।
9. है0कां0 816 नीरज कुमार स्वाट टीम जनपद हापुड़।
10. है0कां0 697 विशाल चौहान स्वाट टीम जनपद हापुड़।
11. है0कां0 644 विनीत धामा स्वाट टीम जनपद हापुड़।
12. है0कां0 815 राहुल कुमार स्वाट टीम जनपद हापुड़।